

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा**  
**पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 44/2024 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी - ए.यू. स्मॉल  
फाईनेन्स बैंक लिमिटेड शाखा  
कार्यालय गायत्री आश्रम अजमेर  
रोड भीलवाडा।

उनवान  
बनाम

1. श्री शिवकुमार पत्रिया पुत्र  
शंकर लाल पत्रिया निवासी  
ईन्दुदा, तहसील जहाजपुर  
जिला शाहपुरा।
2. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी शिव  
कुमार पत्रिया निवासी ईन्दुदा,  
तहसील जहाजपुर जिला  
शाहपुरा।

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और  
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

प्राधिकृत अधिकारी - श्री विजेन्द्र सिंह।




**निर्णय**

दिनांक : 5/9/2024

प्राधिकृत अधिकारी - ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय गायत्री आश्रम अजमेर रोड भीलवाडा ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 03,00,000/- रुपये का ऋण दिनांक 29.11.2020 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के वतार जो भूमि व भवन अचल सम्पत्ति श्री शिवकुमार पुत्र शंकर लाल पत्रिया की आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-26 दिनांक 30.08.2019 ग्राम ईन्दुदा ग्राम पंचायत ईन्दुदा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा वर्तमान जिला शाहपुरा पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 880 वर्गफीट है जिसकी सीमाएं उत्तर- देवालाल चौधरी का मकान, दक्षिण- आम रास्ता व निकास, पूर्व- शान्ती वाई का मकान एवं पश्चिम- वाली वाई का मकान है (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 13.05.2024 तक कुल वकाया ऋण की राशि 02,03,021/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 10.05.2024 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर

  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
शाहपुरा (राज.)

दिया था, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।


प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14(1A) के तहत पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा को प्राधिकृत किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण (त्रष्टणी) द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गयी उपरोक्तानुसार अचल सम्पत्ति (श्री शिवकुमार पुत्र शंकर लाल पत्रिया की आवासीय सम्पत्ति सम्पत्ति पट्टा संख्या-26 दिनांक 30.08.2019 ग्राम ईटुन्दा ग्राम पंचायत ईटुन्दा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा वर्तमान जिला शाहपुरा पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 880 वर्गफीट है जिसकी सीमाएं उत्तर- देवालाल चौधरी का मकान, दक्षिण- आम रास्ता व निकास, पूर्व- शान्ती बाई का मकान एवं पश्चिम- बाली बाई का मकान है) का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को संभलाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। साथ ही कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने की सुनिश्चितता की जावे। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा को विधि अनुसार पालना किये जाने हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति प्राधिकृत अधिकारी बैंक को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 5/9/2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



  
(राजेंद्र सिंह शेखावत)  
जिला कलेक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, (शाहपुरा)